इकाई 16 सल्तनत कालीन प्रशासन

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 दिल्ली सल्तनत और खिलाफत
16.3 दिल्ली सल्तनत की प्रकृति
16.4 केन्द्रीय प्रशासन
- 16.4.1 सुल्तान
- 16.4.2 विज़ारत (वित्त)
- 16.4.3 दीवान-ए-अर्ज
- 16.4.4 अन्य विभाग
- 16.4.5 दास और कारखाने

16.5 राजस्व प्रशासन
16.6 इक्ता व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन
- 16.6.1 इक्ता व्यवस्था
- 16.6.2 प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन

16.7 सारांश
16.8 शब्दावली
16.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

खंड 4 में आप दिल्ली सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया और सीमाओं के विस्तार के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई में आपके अध्ययन का प्रमुख विषय दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था है। इस इकाई के अध्ययन से आप निम्न के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

- सुल्तान का खलीफा के साथ सम्पर्क
- राज्य की प्रकृति,
- केन्द्रीय और प्रांतीय स्तर के विभिन्न विभाग,
- प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित प्रमुख अधिकारी; और
- प्रशासन पर नियंत्रण रखने की पद्धति।

16.1 प्रस्तावना

आपने खंड 4 में पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी और मध्य एशिया से संबंध विच्छेद की प्रक्रिया आरंभ हुई। हम आपको दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के विस्तार के विषय में भी बता चुके हैं। इस इकाई में हम आपको दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीय और प्रांतीय प्रशासन, राजस्व व्यवस्था तथा सल्तनत की प्रकृति के विषय में बताएंगे।

16.2 दिल्ली सल्तनत और खिलाफत

पैगम्बर हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आई। हज़रत अबू बक्र मुस्लिम समुदाय के पहले प्रमुख या खलीफा बने। प्रारंभ में सत्ता के उत्तराधिकार के विषय में चुनाव के कुछ तत्व मौजूद थे। यह प्रथा अपने पूर्व की कबीलाई परम्परा से अधिक भिन्न नहीं थी।

इस्लामी व्यवस्था में खलीफा को धर्म का संरक्षक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला समझा जाता था। वह पूरे (मुस्लिम) समुदाय का प्रमुख था। पहले चार "पवित्र खलीफाओं" (हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली) के काल के बाद वंशानुगत शासन की प्रथा प्रारंभ हुई। यह प्रथा 661 ई. में उमैय्द वंश के शासन से शुरू हुई। उमैय्द वंश के शासन का केन्द्रीय स्थल सीरिया में डमेस्कस (Damascus) में था। उमैय्द वंश (Umaiyyids) के बाद 9वीं सदी के मध्य में अब्बासी वंश (Abbasids) सत्ता में आया। इस वंश का केन्द्र स्थल बगदाद में था।

समय के साथ केन्द्रीय सत्ता क्षीण हो गई और खलीफा की केन्द्रीकृत संस्था तीन प्रमुख सत्ता-केन्द्रों में बंट गई। स्पेन (उमैय्द वंश की एक शाखा के अधीन), मिस्र (फातिमी वंश (Fatimids) के अधीन) और सबसे पुरानी बगदाद में। इनमें से प्रत्येक मुसलमानों की निष्ठा प्राप्त करने का दावा करता था। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा के पास कुछ छोटे वंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें से एक का केन्द्र ग़ज़ना (ग़ज़नी) था। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि सिद्धांतत: कोई मुसलमान एक बड़ा या छोटा "स्वतंत्र" राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। ऐसे किसी भी राज्य के लिए खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक था, अन्यथा मुसलमानों की नज़र में ऐसे राज्य की वैधता संदेहास्पद हो जाती। परन्तु खलीफा की यह अनुमति औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं थी और इस औपचारिकता का पालन करना सुरक्षित था।

दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा को मान्यता देना, सम्मान वस्त्रों की प्राप्ति, प्रतिष्ठापन के पत्र की प्राप्ति या सम्मानसूचक उपाधियों की प्राप्ति, खलीफा का नाम सिक्कों पर खुदवाना तथा शुक्रवार की नमाज़ के समय खलीफा के नाम से धर्मोपदेश **(खुतबा)** जारी करने के प्रतीकों के रूप में होता था। यह एक ऐसा कार्य था जो इस्लामी विश्व या व्यवस्था को स्वीकार करना या उससे संबंध बनाए रखने का प्रतीक था। परन्तु वास्तविकता में यह केवल ऐसी स्थिति को स्वीकार करना था, जिसमें कोई शासक अपने आपको स्वयं सत्ता में स्थापित कर चुका था। दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा के पद की महत्ता के भ्रम को बनाए रखा — सैय्यद वंश (1414–1451 ईसवी) तथा लोदी वंश (1451–1526 ईसवी) के दौरान सिक्कों पर लेखन (खलीफा से संबंधित) एक परम्परा के रूप में जारी रहा। परन्तु यह निष्ठा केवल नाममात्र की थी। वास्तव में खिलाफत (एक संस्था के रूप में) कमज़ोर हो चुकी थी। वैसे दूरी भी इतनी अधिक थी कि खलीफा दिल्ली सल्तनत में कोई हस्तक्षेप या भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था।

बोध प्रश्न 1

1) खलीफा की सैद्धांतिक स्थिति क्या थी ?

....

....

....

2) चार "पवित्र खलीफा" कौन थे ?

....

....

3) खिलाफ़त के तीन प्रमुख सत्ता केन्द्र बताइए।

. . . .

. . . .

4) खिलाफत के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए दिल्ली के सुल्तान किन प्रतीकों का प्रयोग करते थे ?

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

16.3 दिल्ली सल्तनत की प्रकृति

युद्धों में विजयों के आधार पर उत्तर भारत में प्रारंभिक मुस्लिम तुर्की राज्य की स्थापना हुई। जीते हुए प्रदेशों में जहाँ तुर्की शासन स्थापित किया गया, स्थानीय जनसंख्या की तुलना में तुर्क संख्या में काफी कम थे। साथ ही उनके पास साधनों की भी कमी थी। इसलिए इन प्रदेशों के साधनों पर अधिकार करना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसका (साधनों पर अधिकार करने की आवश्यकता) प्रभाव तुर्की राज्य की प्रकृति पर पड़ा।

सैद्धांतिक और औपचारिक रूप से दिल्ली सुल्तानों ने इस्लामी कानूनों **(शरियत)** की सर्वोच्चता को मान्यता दी और उसके खुले आम उल्लंघन को रोकने का प्रयास किया। इस्लामी कानूनों के अतिरिक्त उन्होंने धर्म-निरपेक्ष अधिनियम (secular regulations) या **(ज़वाबित)** भी बनाए। कुछ विद्वानों के अनुसार, तुर्की राज्य धर्म पर आधारित राज्य था, हालांकि व्यवहार में तुर्की राज्य उस कार्यसाधकता और अनिवार्यता की उपज था, जिसमें नवस्थापित राज्य की ज़रूरतें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी "**जहांदारी**" (धर्मनिरपेक्ष) और "**दीनदारी**" ("धार्मिक") के अंतर को रेखांकित करता है। साथ ही, बर्नी कुछ धर्म-निरपेक्ष लक्षणों की अपरिहार्यता या आवश्यकता को भी आकस्मिक परिस्थितियों की पूर्ति के लिए स्वीकार करता है। इस प्रकार, नव-स्थापित राज्य ने बहुत-सी ऐसी नीतियों और प्रथाओं को जन्म दिया जो मूलभूत इस्लामी परम्परा के अनुकूल नहीं थीं। उदाहरण के लिए, इल्तुतमिश के शासन काल (1210–1236) में मुस्लिम धार्मिक वर्ग के एक कट्टर समुदाय **(शफाई)** ने सुल्तान से कहा कि वह इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करे, विशेष कर हिन्दुओं से यह कहा जाए कि या तो वे इस्लाम धर्म को स्वीकार करें या मृत्यु। सुल्तान की ओर से उसके वज़ीर जुनैदी ने जवाब दिया कि यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मुसलमान खाने में नमक के बराबर (संख्या में कम) हैं। इतिहासकार बर्नी सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और उसके राज्य के एक धर्मशास्त्री काज़ी मुगीसुद्दीन के वार्तालाप का वर्णन करता है। यह वार्तालाप युद्ध में जीते गए माल के बँटवारे के संबंध में है। काज़ी ने सुल्तान से कहा कि धार्मिक कानून (इस्लामी) के अनुसार सुल्तान युद्ध में जीते गए माल का अधिकांश हिस्सा अपने पास नहीं रख सकता। जवाब में सुल्तान ने इस बात पर जोर दिया कि वह राज्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य करेगा, जो उसकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त उदाहरण यह दिखाते हैं कि व्यवहार में तुर्की राज्य एक धर्म-आधारित या धर्म-केन्द्रित राज्य नहीं था। हालाँकि शासक वर्ग इस्लाम धर्म का अनुयायी था, फिर भी राज्य की नीतियों का निर्धारण अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार होता था।

16.4 केन्द्रीय प्रशासन

सल्तनत के केन्द्रीय प्रशासन का संचालन सुल्तान की अधीनता में विभिन्न अमीरों की देख-रेख में होता था।

16.4.1 सुल्तान

प्रारंभिक इस्लामी व्यवस्था में सुल्तान के पद का कोई अस्तित्व नहीं था। खिलाफत की शक्ति के क्षीण होने के साथ सुल्तान एक शक्तिशाली शासक के रूप में अस्तित्व में आया। वह एक स्वतंत्र राज्य के सार्वभौमिक शासक के रूप में था।

दिल्ली सुल्तान जनहित के लिए नागरिक और राजनीतिक नियम बनाते थे। **खुतबा** और सिक्के प्रभुसत्ता के प्रतीक समझे जाते थे। **खुतबा** एक औपचारिक धर्मोपदेश है जो शुक्रवार के समय पढ़ा जाता है। इसमें सुल्तान का नाम समुदाय के प्रमुख के रूप में लिया जाता था। सिक्कों को जारी करना भी राजसत्ता का अधिकार था। सिक्कों पर सुल्तान का नाम खुदा रहता था।

(दिल्ली) सल्तनत में बार-बार राजवंशों में परिवर्तन हुए। सुल्तान या सिंहासन पर अधिकार करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अमीरों या कुलीनों के समर्थन के बिना सत्ता पर अधिकार नहीं रख सकता था। यह अमीर स्वयं कई गुटों में बंटे हुए थे। बर्नी के अनुसार, बलबन ने सुल्तान के पद को अत्यन्त महत्व दिया और उसे पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया **ज़िल-अल अल्लाह (Zill-al Allah)** बताया। बलबन ने दरबार की शान-शौकत, मर्यादा और शिष्टाचार पर बहुत बल दिया। वह अमीरों को भी कड़े दण्ड देता था, ताकि औरों को सबक मिले। यह सब एक ऐसी स्थिति दर्शाते हैं जिसमें सिंहासन अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। बहुत से अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था।

राजपरिवार और दरबार

राजपरिवार की देखभाल के लिए बहुत से अधिकारी थे। "**वकील-ए दर**" **(wakil-i dar)** पर पूरे महल और राजपरिवार की देखभाल का उत्तरदायित्व था। सुल्तान के निजी कर्मचारियों के वेतन आदि बाँटना भी उसका कार्य था। **अमीर-ए हाजिब (amir–i hajib)** पर दरबार के समारोहों और शिष्टाचार का उत्तरदायित्व था। सुल्तान के समक्ष सभी आवेदन और याचिकाएँ **अमीर-ए हाजिब** द्वारा प्रस्तुत की जाती थी। कई अन्य छोटे पदाधिकारी भी होते थे।

16.4.2 विज़ारत (वित्त)

केन्द्रीय प्रशासन में वित्त विभाग **(wizarat)** प्रमुख के रूप में **वज़ीर** का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। हालाँकि वह चार प्रमुख विभागों में से एक विभाग का प्रमुख था, लेकिन वह अन्य विभागों का निरीक्षण करने का अधिकार रखता था। विजारत विभाग के प्रमुख कार्य थे:

- राजस्व वसूल करना,
- व्यय पर नियंत्रण रखना,
- लेखा या हिसाब-किताब रखना,
- वेतन बाँटना; तथा
- सुल्तान के आदेश पर **इक्ता** देने की व्यवस्था करना।

वज़ीर के अतिरिक्त, इस विभाग में कई अन्य अधिकारी भी थे। इनमें **मुशरिफ-ए मुमालिक** अथवा प्रमुख लेखाकार **(mushrif-i mumalik)** तथा **मुसतौफि-ए मुमालिक** अथवा लेखा-परीक्षक **(mustaufi-i mumalik)** महत्वपूर्ण थे। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में **दीवान-ए मुस्तख़राज** नामक अधिकारी को राजस्व का बकाया (arrears) वसूल करने का कार्य दिया गया था।

16.4.3 दीवान-ए अर्ज़

दीवान-ए अर्ज़ अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख **आरिज़-ए मुमालिक** था। वह सैनिक और सेना संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी था। वह **इक्ता**-धारकों के सैनिकों का निरीक्षण करता था। वह सुल्तान की सेना के रसद विभाग और परिवहन विभाग की देखभाल और नियंत्रण करता था। अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में सेना की भर्ती और योग्यता पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए। उसने प्रत्येक सैनिक का **हुलिया** (सैनिक के पहचान चिन्ह आदि) रखने पर बल दिया। साथ ही, यह भी आदेश दिया कि घोड़ों पर **दाग** (चिन्ह **dagh**)

घोड़ा न पेश कर सकें, या खराब और निम्न कोटि के घोड़े न रखें। ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़े दागने की प्रथा मुहम्मद तुगलक के समय तक जारी रही।

राज्य की सेना में अमीरों के सैनिक और सुल्तान की स्थायी सेना (standing army) (**हश्म-ए कल्ब**) दोनों होते थे। तेरहवीं शताब्दी में शाही घुड़सवार सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर दिल्ली के आस-पास छोटे गाँवों में राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। इतिहासकार मोरलैण्ड इन्हें "छोटे **इक्ता**" कहता है। इल्तुतमिश के शासन काल में ऐसी घुड़सवार सेना की संख्या लगभग तीन हज़ार थी। बलबन ने राजस्व वसूल करने के अधिकार को समाप्त करने की चेष्टा की (वह नकद वेतन देना चाहता था) जिससे बहुत असंतोष फैला। अलाउद्दीन खलजी इस कार्य को सम्पन्न करने में सफल हुआ और उसने अपने घुड़सवारों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की। उसके काल में एक घुड़सवार को 238 **तनका** (एक वर्ष में) मिलते थे और जो सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे उन्हें 78 **तनका** और मिलते थे।

फीरोज़ तुगलक ने शाही घुड़सवारों को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दी। इसके स्थान पर अब उन्हें एक पत्र दिया जाता था जिसे **इतलाक (itlaq)** कहा जाता था। यह एक प्रकार का धनादेश था। इस धनादेश को सुल्तान की **खालसा** भूमि ("शाही" या "सुरक्षित भूमि") के राजस्व अधिकारी को देने पर उन्हें वेतन मिल जाता था।

16.4.4 अन्य विभाग

दीवान-ए इन्शा (diwan-i insha) नामक विभाग पर राज्य के पत्राचार का उत्तरदायित्व था। इस विभाग का प्रमुख **दबीर-ए मुमालिक** था। यह विभाग सुल्तान और अन्य देशों के बीच तथा सुल्तान और प्रांतीय शासकों के बीच पत्राचार पर नियंत्रण रखता था। इसी विभाग द्वारा **फरमान** (शाही आदेश) जारी किए जाते थे और अधीनस्थ अधिकारियों के पत्र प्राप्त किए जाते थे।

बरीद-ए मुमालिक राज्य के संवाद या समाचार विभाग का प्रमुख था। उसे पूरी सल्तनत में होने वाली घटनाओं का लेखा-जोखा रखना होता था। राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक खण्डों या प्रशासनिक केन्द्रों पर **बरीद** नामक स्थानीय अधिकारी रहता था, जो केन्द्रीय विभाग को उस स्थान की घटनाओं और समाचारों की सूचना पत्र द्वारा भेजता था। **बरीद** राज्य संबंधी सूचनाएँ जैसे युद्ध, विद्रोह, स्थानीय मामले, वित्त तथा कृषि की स्थिति आदि प्रेषित करता था। **बरीद** के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी वर्ग, जिसे **मुनहियान** कहते थे, सूचनाएँ भेजने का कार्य करता था।

दीवान-ए रिसालत (diwan-i risalat) नामक विभाग का प्रमुख **सद्र-उस सुदूर (sadr-us sudur)** था। वह सर्वोच्च धर्माधिकारी था। इस विभाग का कार्य धार्मिक कार्यकलापों पर दृष्टि रखना और काज़ियों की नियुक्ति करना था। यही अधिकारी विभिन्न प्रकार के अनुदानों, जैसे **वक्फ**, धार्मिक और शिक्षण संबंधी संस्थाओं के लिए, विद्वानों और निर्धनों को **वज़ीफा** और **इदरार**, को अनुमोदित करता था।

न्यायपालिका का प्रमुख स्वयं सुल्तान था। अपराध संबंधी और माल एवं दीवानी संबंधी सभी मामलों में सुल्तान ही सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय था। सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख न्यायाधीश **काज़ी-उल मुमालिक** (या काज़ी-उल कुज़्ज़ात) था। बहुधा **सद्र-उस सुदूर** तथा **काज़ी-उल मुमालिक** का पद एक ही व्यक्ति के पास होता था। यह प्रमुख **काजी** न्याय-व्यवस्था का प्रमुख था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील (या पुनरावेदन) उसके यहाँ की जा सकती थी।

मुहतसिब (muhatsib) (नागरिक नियंत्रक) न्याय विभाग की सहायता करता था। इनका कार्य यह देखना था कि जनता द्वारा कहीं इस्लामी कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा।

16.4.5 दास और कारखाने

शाही महल व्यवस्था में गुलाम एक प्रमुख स्थान रखते थे। अलाउद्दीन खलजी के पास 50,000 दास थे, जबकि फीरोज़ तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। उसके शासन

काल में दासों के लिए एक अलग विभाग (**दीवान-ए बन्दगान**) स्थापित किया गया था। दास प्रमुखतया सुल्तान के निजी सेवकों और अंगरक्षकों के रूप में कार्य करते थे (अंगरक्षक के रूप में लगभग 40,000 दास थे)। समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार, फीरोज़ के गुलामों की एक बड़ी संख्या (लगभग 12,000) कारीगर (**कासिब**) के रूप में कार्य करते थे। बर्नी भी दिल्ली के पास गुलामों के एक बड़े बाज़ार का वर्णन करता है। लेकिन सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश (पहले 25 वर्ष) में गुलामों के बाज़ार का कोई विवरण नहीं मिलता।

राजपरिवार और शाही प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं की पूर्ति **कारखानों** द्वारा की जाती थी। यह **कारखाने** दो प्रकार के थे: (i) उत्पादन स्थल; और (ii) गोदाम घर। यहाँ तक कि राजसी ग्रंथालय (**kitabikhana**) का विवरण भी एक **कारखाने** के रूप में मिलता है। फीरोज़ तुगलक के शासन काल में 36 **कारखाने** थे। प्रत्येक **कारखाने** का प्रमुख एक **अमीर** होता था, जिसका पद मालिक या **खान** के बराबर का था। प्रत्येक **कारखाने** की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा रखने के लिए एक प्रमुख अधिकारी **मुतसर्रिफ (mutasarrif)** होता था। कारखानों के हिसाब आदि के निरीक्षण के लिए एक पृथक दीवान या लेखा विभाग भी होता था।

कारखानों में राजसी प्रयोग के लिए अथवा सेना के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता था। कहा जाता है कि मुहम्मद तुगलक ने ज़री के काम (सोने-चांदी के तारों से कढ़ाई का काम) के लिए 400 कारीगर रखे थे तथा लगभग 4,000 बुनकर राज-दरबार और सुल्तान द्वारा उपहार में दिए जाने वाले वस्त्रों की पूर्ति के लिए कपड़ा बनाते थे। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शाही कारखानों में निर्मित माल व्यावसायिक माल नहीं था, अर्थात् माल बाज़ार में बेचने के लिए नहीं उत्पादित किया जाता था। **अमीर** या कुलीन भी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कारखाने स्थापित करते थे। (इस विषय में अधिक चर्चा के लिए खंड 6 देखिए।)

बोध प्रश्न 2

1) दिल्ली सुल्तानों के अधीन तुर्की राज्य की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।

2) दीवान-ए विज़ारत के प्रमुख कार्यों का विवरण दीजिए।

3) कारखानों पर एक टिप्पणी लिखिए।

4) निम्न प्रश्न में सही उत्तर पर ✓ का निशान लगाइए:

खलजी:

क) सिक्के ढालने का अधिकार था।
ख) सम्मानित वस्त्र।
ग) शुक्रवार की सामूहिक नमाज़ के बाद पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश।

5) निम्न अधिकारियों के क्या कार्य थे?
क) **मुशरिफ-ए मुमालिक:** ....

....

ख) **आरिज़-ए मुमालिक:** ....

....

ग) **बरीद:** ....

....

घ) **काज़ी-उल मुमालिक:** ....

....

16.5 राजस्व प्रशासन

तेरहवीं शताब्दी में राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? इसके विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि इस काल में भूमि-कर की सही दर के विषय में भी ज्ञात नहीं है। संभवतः पुरानी कृषि और भूमि-कर व्यवस्था ही जारी रही। प्रमुख अंतर यह था कि केन्द्र में भूमि की आय पर अधिकार करने वाला वर्ग बदल गया। पुराने शासक-वर्ग के स्थान पर अब तुर्की शासक-वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगा। इस व्यवस्था के विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इतिहासकार बर्नी के विवरण (जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रारंभिक वर्षों का विवरण है) का विश्लेषण कर सकते हैं। संक्षेप में बर्नी हमें तीन ग्रामीण अभिजात या उच्च वर्गों के विषय में बताता है। यह वर्ग हैं: **खोत**, **मुकद्दम** और **चौधरी**, जो राज्य की ओर से किसानों से भूमि-कर या **खराज** वसूल करते थे। यह लोग किसानों से कर वसूल करके **दीवान-ए विज़ारत** के अधिकारियों के पास जमा कर देते थे। इस कार्य के बदले में अपने पारिश्रमिक के रूप में उन्हें इस वसूली का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था, जिसे **हक्क-ए खोती** या **खोती** का अधिकार कहते थे। यह धन उन्हें नकद रूप में नहीं मिलता था, बल्कि कर-मुक्त भूमि के रूप में अर्थात् भूमि के एक भाग का कर वह स्वयं अपने पास रख सकते थे। इसके अतिरिक्त, यह किसानों से भी उनकी उपज का कुछ भाग अलग से लेते थे, जिसे **किस्मत-ए खोती** कहा जाता था। भूमि-कर के अतिरिक्त, प्रत्येक कृषक को गृह कर (**घरी**) और पशु या चरागाह कर (**चराई**) भी देना होता था। यह भी संभव है कि शायद **चौधरी** सीधे कर इकट्ठा करने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इब्नबतूता के अनुसार, **चौधरी** "सौ गांवों" (**परगनों**) का प्रमुख होता था। इस अनुमान को और अधिक बल इस तथ्य से मिलता है कि बर्नी हमेशा **हक्क-ए खोती** या **मुकद्दमी** जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, **हक्क-ए चौधरी** की बात कहीं नहीं करता। इतिहासकार डब्ल्यू. एच. मोरलैण्ड इन तीनों वर्गों के लिए मध्यस्थ-वर्ग (**intermediaries**) जैसे शब्द का प्रयोग करता है। हम भी इस इकाई में इन वर्गों को मध्यस्थ-वर्ग ही कहेंगे।

अलाउद्दीन खलजी ने इस मध्यस्थ-वर्ग का दमन किया। बर्नी ने अलाउद्दीन के इस कार्य के लिए उत्तरदायी कारणों का विस्तार से वर्णन किया है (देखिए खंड 6, इकाई 20)। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थ वर्ग हमेशा विद्रोह के लिए तैयार एक असाध्य वर्ग हो गया था। सुल्तान ने उनके विरुद्ध निम्न प्रमुख आरोप लगाए:

क) मध्यस्थ-वर्ग अपनी भूमि के उस भाग पर कर नहीं देते थे जो कर-मुक्त नहीं थी, बल्कि वे अपने कर का "बोझ" किसानों पर डाल देते थे अर्थात् वे किसानों से राज्य द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूल करके उसमें से अपना कर देते थे।

ख) वे **चराई** कर नहीं देते।
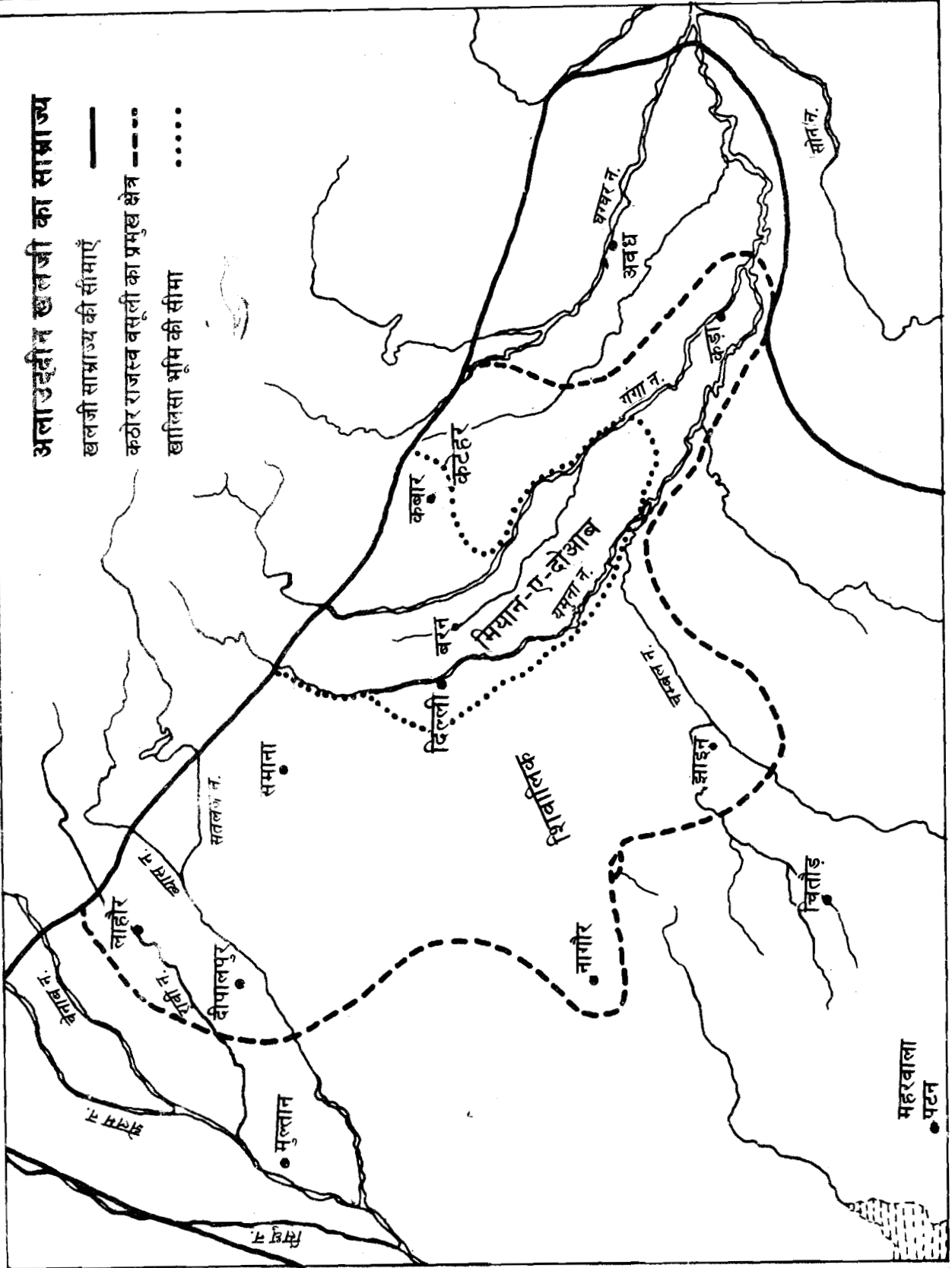
ग) गलत तरीकों से प्राप्त "अधिक दौलत" ने उन्हें घमण्डी बना दिया। वे राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते थे और जब उन्हें हिसाब देने के लिए राजस्व कार्यालय में बुलाया जाता, तो वे नहीं जाते।

इन परिस्थितियों में सुल्तान को उनकी आय के साधनों पर प्रहार करना पड़ा। इसके लिए सुल्तान ने जो कदम उठाए वह निम्न थे:

i) राज्य की ओर से राजस्व-दर कुल उपज के आधे के बराबर निश्चित की गई अर्थात् उपज का आधा भाग राज्य, कर के रूप में लेगा। भूमि की नाप (**masahat**) की गई और उसकी प्रत्येक इकाई पर कर निश्चित किया गया। इसके लिए **वफा-ए बिस्वा** शब्द प्रयोग किया गया (**वफा**= उपज; **बिस्वा**= बीघे का 1/20वां भाग)। संभवत: पृथक-पृथक प्रत्येक किसान की भूमि पर कर निर्धारित किया गया।

ii) किसानों और मध्यस्थों पर कर की दर समान रखी गई (50 प्रतिशत) इसमें कोई भेद नहीं किया गया, चाहे वे मध्यस्थ हों या "सामान्य किसान" (बलाहार)।

iii) मध्यस्थों के अनुलाभ (perquisites) समाप्त कर दिए गए।

iv) मध्यस्थों से भी गृह कर और **चराई** कर वसूल किया गया।

इससे यह स्पष्ट है कि इन आदेशों का एक उद्देश्य किसानों को मध्यस्थों की अवैधानिक वसूली से बचाना था। बर्नी का कथन भी यही है कि सुल्तान की नीति का उद्देश्य यह था कि "शक्तिशाली" (**अकविया**) का "बोझ" "कमजोर" (**जुआफा**) पर नहीं पड़ना चाहिए। हम यह जानते हैं कि राज्य द्वारा उपज के 50 प्रतिशत की मांग भारत के भू-राजस्व के इतिहास में सर्वाधिक है। एक ओर, जहाँ किसान अब मध्यस्थों के अत्याचार से बच सके, वहीं अब उन्हे पहले की अपेक्षा कर भी अधिक देना पड़ा। चूंकि कर की दर सब लोगों के लिए समान थी, इसलिए यह प्रतिगामी कर था (अर्थात् अधिक गरीब के लिए कर का बोझ अधिक और कष्टदायी)। इस प्रकार, राज्य ने तो मध्यस्थों का नुकसान करके अपनी आय बढ़ा ली, परन्तु किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति उसी प्रकार दयनीय ही रही।

ऐसे किसान जो गरीब थे और जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे पूरी तरह कुचल दिए गए तथा अमीर किसान जिनके पास संसाधन थे, विद्रोही हो गए। पूरे इलाके बर्बाद हो गए। खेती पूरी तरह [illegible] हो गई। जब दूर के क्षेत्र में दोआब के किसानों की बर्बादी की खबरें पहुंची तो वहां के किसान भी खेतों को छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे। उन्हें भय था कि दोआब में जारी दमनकारी आदेश उनके क्षेत्रों में भी लागू किए जाएंगे। सुल्तान जिन दो वर्षों में (लगभग 1332–34 ई.) दिल्ली रहा उस काल में सख्ती के साथ राजस्व की मांग और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों (**अबवाब**) की बहुतायत से दोआब बर्बाद हो गया। हिन्दूओं ने अनाज के ढेरों में आग लगा कर जला दिया और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने **शिक़दारों** और **फौजदारों** (राजस्व संग्राहक और सैनिक प्रमुख) को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दें और लूटमार करें। उन्होंने बहुत से **खोत** और **मुकद्दमों** को मार डाला और बहुतों को अंधा कर दिया। जो बच निकले उन्होंने अपने गिरोह बना लिए और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों सुल्तान शिकार खेलने बरन (आधुनिक बुलंदशहर) गया। उसने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र को लूट कर उजाड़ दिया जाए। सुल्तान ने कन्नौज से लेकर दलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूटमार की और उजाड़ दिया। जो भी पकड़ा गया, मार डाला गया। अधिकांश (किसान) भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने (सुल्तान की सेना ने) जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिला उसे मार डाला।

अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में किसानों के उत्पीड़न का इतिहासकार बर्नी द्वारा वर्णन। अंग्रेजी प्रारूप के लिए देखें **The Cambridge Economic History of India**, Ed. T. R. Chandhuri and Irfan Habib,

यह सही है कि अब मध्यस्थों के हाथ से सीधे कर वसूलने का कार्य ले लिया गया लेकिन अब भी उनसे यह आशा की जाती थी कि अपने क्षेत्र में वे कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा बिना किसी पारिश्रमिक के राजस्व अधिकारियों की सहायता करेंगे। राज्य द्वारा किसानों से सीधे सम्पर्क स्थापित किए जाने से राजस्व अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई। यह अधिकारी विभिन्न नामों से जाने जाते थे, जैसे "**उम्माल**, **मुतसर्रिफ**, **मुशरिफ**, **मुहासिलान**, **नवीसिन्दगान** आदि। कुछ ही समय बाद मध्यस्थों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया जिसके लिए **नायब वज़ीर** शरफ कैनी ने उन्हें दण्डित किया। आठ से दस हजार तक अधिकारी जेल में डाले गए। धोखाधड़ी पकड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। लेखा परीक्षक गांव के पटवारी की **बही** या खाते की सूक्ष्मता से जाँच करते थे। किसानों द्वारा राजस्व अधिकारियों को किए गए प्रत्येक वैधानिक या अवैधानिक भुगतान का विवरण **बही** में रहता था। इन भुगतानों की तुलना वसूली की प्राप्ति से की जाती थी और भ्रष्टाचार पकड़ा जा सकता था। अलाउद्दीन खलजी ने कर वसूलने वालों के वेतन बढ़ा दिए थे, फिर भी भ्रष्टाचार जारी रहा।

ये नए नियम जिस क्षेत्र में लागू किए गए थे, बर्नी उनकी ओर भी संकेत करता है। राज्य के केन्द्र को शामिल करते हुए यह एक विस्तृत क्षेत्र में लागू थे। परन्तु मालवा तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र और बिहार, अवध तथा गुजरात इसमें सम्मिलित नहीं थे। इस विषय में यह तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह नियम केवल **खालसा** ("शाही" अथवा "सुरक्षित" भूमि) के लिए ही थे।

भुगतान की प्रणाली एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोरलैण्ड का विचार है कि तेरहवीं शताब्दी में नकद वसूली की प्रथा सामान्यतया प्रचलित थी और चौदहवीं शताब्दी तक इसका काफी विस्तार हो गया था। परन्तु अलाउद्दीन ने अनाज के रूप में वसूली को वरीयता प्रदान की। उसने आदेश दिया कि दोआब की सम्पूर्ण **खालिसा** भूमि से वसूली अनाज के रूप में ही की जाए और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र से केवल आधा राजस्व नकद रूप में वसूला जाए (शेष आधा अनाज के रूप में)। उसके द्वारा अनाज के रूप में वसूली को वरीयता देने का कारण दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में अनाज का भण्डारण था जिससे आपात स्थिति (जैसे सूखा पड़ने या अन्य कारण से अनाज की कमी होने पर) में संग्रहित अनाज का उपयोग हो सके। साथ ही, एक अन्य उद्देश्य यह था कि इस संगृहित अनाज की सहायता से वह अनाज मण्डी में अपनी कीमतों को स्थिर करने की नीति को सफल बना सकता था।

गियासउद्दीन तुगलक द्वारा दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। (i) मध्यस्थ वर्ग को **हक्क-ए खोती** का अधिकार वापस दे दिया गया (परन्तु **किस्मत-ए खोती** का अधिकार नहीं दिया गया) उन्हें गृह कर और **चराई** कर से भी मुक्ति दे दी गई; (ii) भूमि को नापने की व्यवस्था **(मसाहत)** तो जारी रखी गई, परन्तु साथ ही अवलोकन या "वास्तविक उपज" **(बर हुक्म हासिल)** के आधार पर भी कर का निर्धारण जारी रखा। मुहम्मद तुगलक के कार्यों को लेकर कुछ अनिश्चितता है कि उसने भूमि कर की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दी थी। यह भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने कर की दर घटा दी थी जिसे मुहम्मद तुगलक ने फिर 50 प्रतिशत कर दिया। यह दोनों दृष्टिकोण गलत प्रतीत होते हैं: अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित की गई दर में कोई फेर-बदल नहीं हुआ। वास्तव में, मुहम्मद तुगलक ने कुछ नए कर **(अबवाब)** लगाए और साथ ही पुरानों को फिर जारी किया (उदाहरण के लिए मध्यस्थों पर फिर **चराई** और गृह कर लागू किए)। इसके अतिरिक्त, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कर निर्धारित करने के लिए केवल भूमि को नापने की प्रथा अपनाई गई। स्थिति उस समय अधिक बिगड़ी, जब अनाज के रूप में वसूली "वास्तविक उत्पादन" के आधार पर न करके सम्पूर्ण नापी गई भूमि में राज्य द्वारा निर्धारित उपज **(वफा-ए फरमानी)** के आधार पर की गई। साथ ही, नकद रूप में वसूली करने के लिए भी बाज़ार में अनाज के प्रचलित मूल्यों को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि "सुल्तान द्वारा निर्धारित मूल्य" **(निर्ख-ए फरमानी)** को आधार माना गया। इस सबके ऊपर, जैसा कि बर्नी कहता है, इन सभी करों को अत्यन्त कठोरता से वसूल करने की कोशिश की गई। इन नियमों को दोआब की सम्पूर्ण **खालिसा** भूमि पर लागू किया गया। परिणाम प्रत्यक्ष थे — मध्यस्थों के नेतृत्व में किसानों का अभूतपूर्व विद्रोह, जिसने खूनी संघर्ष को जन्म दिया। बाद में फीरोज़ शाह तुगलक ने लगभग तेईस प्रकार के उप-कर या **अबवाब** समाप्त किए, जिसमें **चराई** और घरी (गृह कर) शामिल थे।

राजस्व को ठेके पर देने की प्रथा एक अन्य प्रमुख कदम था जो विशेषकर तुगलक काल में अपनाया गया। इस व्यवस्था के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने का उत्तरदायित्व ठेकेदारों को दे दिया गया। ठेकेदार संभवत: कुल राशि अग्रिम रूप में देकर किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय के लिए कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। फीरोज़ शाह के काल में एक "सिंचाई कर" **(haqq-i sharb)** भी उन लोगों पर लगाया गया, जो राज्य द्वारा निर्मित नहरों से सिंचाई के लिए पानी लेते थे। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब फसल खराब हो जाती थी, तब राज्य द्वारा भूमि-कर में छूट आदि दी जाती थी। मुहम्मद तुगलक के काल में किसानों को कृषि ऋण **सोनधर** भी दिया जाता था।

प्रश्न यह उठता है कि दिल्ली सुल्तानों के काल में राज्य का अनुमानित राजस्व कितना था? अभी तक फीरोज तुगलक से पहले के काल के विषय में ऐसा कोई भी अनुमान प्रस्तुत नहीं किया गया है। समकालीन इतिहासकार अफीफ के अनुसार, सुल्तान (फीरोज़ शाह) के आदेश पर ख्वाजा हिसामउद्दीन जुनैद ने राज्य की **जमा** (अनुमानित आय) "जांच के नियम" **(bar huqm-mushahada)** के आधार पर निर्धारित की। इस कार्य को पूरा करने में छ: साल लगे। इस गणना के अनुसार, राज्य की आय लगभग छ: करोड़ 75 लाख तन्का (एक चांदी का सिक्का, देखिए खंड 6) आंकी गई। सुल्तान (फीरोज़ शाह तुगलक) के सम्पूर्ण शासन काल में राज्य की यही आय मान्य रही।

बोध प्रश्न 3

i) मध्यस्थ वर्गों को हटाने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने क्या प्रयत्न किए?

....
....
....
....
....
....
....
....
....

2) निम्न की परिभाषा दीजिए:

i) **खालिसा:** ....
....

ii) **खराज:** ....
....

iii) **अबवाब:** ....
....

iv) **सोनधर:** ....
....

16.6 इक्ता व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन

सल्तनत की सीमाओं के विस्तार और दृढ़ीकरण की प्रक्रिया 13वीं और 14वीं शताब्दी में जारी रही। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण के तरीके अपनाए गए: वह क्षेत्र जो सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रखे गए, तथा वह जो भेंट (tribute) देते थे और अर्द्ध-स्वतंत्र (semi-autonomous) स्थिति में रहे। सल्तनत के विस्तार और केन्द्र से अधिक दूर स्थित क्षेत्रों

16.6.1 इक्ता व्यवस्था

तेरहवीं शताब्दी की प्रारंभिक तुर्की विजयों ने अनेक छोटे स्थानीय राजाओं का अंत कर दिया (समकालीन लेखक इन छोटे राजाओं को **राय** अथवा **राना** कहते हैं)। अपने राज्य के दृढ़ीकरण के लिए तुर्की शासकों ने अपने **अमीरों** को नकद वेतन के स्थान पर राजस्व अधिकार का आवंटन किया (**इक्ता**)। इसे भूमि-अनुदान पद्धति कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया उन्हें **मुक्ती** या **वली** कहा जाता था। वे अपने **इक्ता** से कर वसूल करके अपने सैनिकों को वेतन देते थे, और स्वयं अपने खर्च के लिए एक निश्चित राशि ले लेते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व (**फवाज़िल**) को केन्द्रीय सरकार को भेज देते थे। **इक्ता** एक अरबी शब्द है और प्रारंभिक इस्लामी राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई थी। राज्य की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में यह **इक्ते** दिए जाते थे। खिलाफत के प्रशासन में यह प्रथा धन की व्यवस्था करने और असैनिक तथा सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए प्रचलित थी। **इक्ता** के अनुदान का अर्थ भूमि पर अधिकार देना नहीं था। यह अनुदान वंशानुगत भी नहीं था। परन्तु फीरोज़ तुगलक के काल में **इक्ता**-धारियों ने वंशानुगत अधिकार अर्जित कर लिए थे। यह राजस्व-अनुदान स्थानांतरणीय भी थे। **इक्ता**-धारकों का तीन या चार वर्ष के अंतराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता था। अत: **इक्ता** को सामंती मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित जागीर (fief) के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि यूरोप की यह जागीर व्यवस्था स्थानांतरणीय नहीं थी और वंशानुगत थी। यह **इक्ता** अनुदान काफी बड़े भी हो सकते थे (एक पूरा प्रांत या उसका भाग) और छोटे भी। अमीरों या कुलीनों को दिए जाने वाला राजस्व-अनुदान (**इक्ता**) में **इक्ता**-धारियों को राजस्व वसूलने के अतिरिक्त सैनिक और कानून तथा व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी निभाना होता था। इस प्रकार , यह **मुक्ती** या **वली** (जिसे **इक्ता** दिया जाता था) प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था। उसे पैदल और घुड़सवारों से युक्त एक सेना रखनी होती थी।

> "उन्हें (**मुक्ती**) यह समझना चाहिये कि प्रजा (किसानों) पर उनका अधिकार केवल शान्तिपूर्ण तरीके से उचित धन (भूमि कर) अथवा प्राधिकार (**माल-ए हक**) वसूल करने का है . . . प्रजा के जीवन, सम्पत्ति और परिवार को कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहिए, **मुक्ती** को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है, अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो **मुक्ती** को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो **मुक्ती** इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दण्डित करना चाहिए . . . **मुक्ती** और **वली** उन (प्रजा) पर उसी प्रकार (बहुत से) नियंत्रक है जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। . . . तीन या चार वर्ष बाद **आमिल** और **मुक्ती** का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाएं।

मुक्ती के अधिकारों के विषय में, निज़ाम-उल मुल्क तूसी के सियासत नामा में किया गया वर्णन। इसके अंग्रेजी प्रारूप के लिए देखें A. B. M. Habibullah, **The Foundation of Muslim Rule in India,** pp. 209–10, Allahabad, 1976

16.6.2 प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन

जब राज्य व्यवस्थित होने लगा तो अधिक केंद्रीकरण के प्रयास होने लगे। प्रांतीय प्रशासन में भी परिवर्तन हुए। अब वित्तीय और सैनिक उत्तरदायित्वों को पृथक करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। मुहम्मद तुगलक के काल में **मुक्ती** और **वली** के हाथ से सब वित्तीय अथवा राजस्व संबंधी अधिकार वापस लिए गए और केन्द्रीय अधिकारियों को दे दिए गए। इब्नबतूता के अनुसार, अमरोहा का **इक्ता** दो अधिकारियों के अधीन था। एक **अमीर** कहलाता था (संभवत: सेना और प्रशासन का प्रमुख) तथा दूसरा **वली** उल **ख़राज** (राजस्व वसूलने का प्रमुख) था। मुहम्मद तुगलक का यह भी आदेश था कि **इक्ता**-धारकों के सैनिकों को **दीवान**-ए **विज़ारत** से वेतन दिया जाए ताकि यह अधिकारी छल-कपट न कर सकें।

वित्त संबंधी मामलों में राज्य का नियंत्रण बढ़ गया। केन्द्र में **दीवान** के कार्यालय में प्रांतों से

थी। **दीवान** का कार्यालय प्रांतों में नियुक्त अधिकारियों के कार्य की देखभाल और निरीक्षण भी करता था। प्रांतों में **साहिब-ए दीवान** नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की गई। यह कार्यालय **बही खाते** का हिसाब रखता था तथा केन्द्र को सूचनाएँ तथा जानकारी प्रेषित करता था। इस अधिकारी की सहायता के लिए **मुतसर्रिफ** नियुक्त किए जाते थे। राजस्व विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को **कारकुन** कहा जाता था।

तेरहवीं शताब्दी के अंत में समकालीन स्रोतों में एक अन्य प्रशासनिक इकाई **शिक** का वर्णन भी मिलता है। **शिक** के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु शेरशाह के काल (1540 – 1545 ई.) में **शिक** एक सुनिश्चित प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हो गया, जिसे **सरकार** कहा जाने लगा। **शिक** से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के विवरण **शिकदार** या **फौजदार** के रूप में मिलते हैं। इन अधिकारियों के कार्यों के विभाजन के विषय में जानकारी स्पष्ट नहीं है।

इब्नबतूता के अनुसार, **चौधरी** एक सौ गांवों का प्रधान होता था। आगे चलकर यह **परगना** नामक प्रशासनिक इकाई का केन्द्र-बिन्दु बना। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग वही रही, जो तुर्की आक्रमण से पहले थी। गांव के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता **खोत**, **मुकद्दम** (प्रधान) तथा **पटवारी** थे (देखिए भाग 16.5)।

प्रांतों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में न्याय-व्यवस्था का स्वरूप केन्द्रीय ढाँचे के अनुरूप था। प्रांतों में **काज़ी** और **सद्र** के न्यायालय थे। **कोतवाल** का कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। गांव के स्तर पर दीवानी और सम्पत्ति संबंधी मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत करती थी।

बोध प्रश्न 4

1) **इक्ता** पर एक टिप्पणी लिखिए।

....
....
....
....
....

2) **वली** अथवा **मुक्ती** के क्या कार्य थे?

....
....
....
....

3) चौदहवीं शताब्दी में **मुक्ती** के अधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन-से कदम उठाए गए?

....
....
....
....

4) निम्न को परिभाषित कीजिए:

क) **शिक:** ....
....

ख) **कोतवाल:** ....
....

ग) **पटवारी:** ....

16.7 सारांश

इस इकाई में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप ऐतिहासिक रूप में विस्तृत इस्लामी विश्व या व्यवस्था का एक भाग होने से बना; साथ ही, तेरहवीं शताब्दी में अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के कारण इसका स्वरूप कैसे बदला। आपने सल्तनत में केन्द्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन भी किया। एक विशाल सेना रखने की आवश्यकता (सुरक्षा और राज्य विस्तार के लिए) तथा प्रशासनिक तंत्र रखने की जरूरत ने इसकी कई संस्थाओं को निश्चित रूप दिया। **इक्ता** इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अधिक केंद्रीकरण से प्रशासनिक नियंत्रण की प्रकृति में कई परिवर्तन आए।

16.8 शब्दावली

अबवाब: उपकर या अतिरिक्त कर

अमीर: अधिकारी

बही: खाता या हिसाब की किताब

बलाहार: बहुत छोटा किसान

बिस्वा: **बीघे** का 1/20वां भाग (बीघा-भूमि माप की एक इकाई)

चराई: चरागाह-कर

चौधरी: 100 गांवों तथा परगने का प्रमुख

दीवान-ए विजारत: वित्त विभाग

फवाज़िल: अतिरिक्त मात्रा (रकम)

हश्म-ए कल्ब: केन्द्रीय/शाही घुड़सवार सेना

हासिल: वास्तविक राजस्व (जो प्राप्त हुआ)

इदरार: कर-मुक्त भूमि अनुदान

इतलाक: धनादेश, अनुदान आज्ञा पत्र

जमा: अनुमानित राजस्व

ख़ालिसा: "शाही" (सुरक्षित) भूमि जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में जमा होता था।

खोत: गांव का अधिकारी/राजस्व एकत्र करने वाला

खुतबा: शुक्रवार की नमाज़ के समय मस्जिद में पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश, जिसमें शासक का नाम भी लिया जाता था

मसाहत: (भूमि की) नाप

मुहासिलान: राजस्व एकत्र करने वाला

मुकद्दम: ग्राम-प्रधान

मुक्ती या वली: **इक्ता**-धारक या गवर्नर

मुशरिफ: राजस्व अधिकारी

मुतसर्रिफ: लेखा-परीक्षक

नवीसिन्दगान: लिपिक

निर्ख-ए फरमानी: राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य

पटवारी: गांव का लेखाकार

शरियत: इस्लामी कानून

तन्का: चांदी का सिक्का

उम्माल: **आमिल** (राजस्व अधिकारी) का बहुवचन

वफा-ए फरमानी: राज्य द्वारा निर्धारित उपज

वक्फ: धार्मिक संस्थाओं के रख-रखाव के लिए दिए जाने वाले भूमि अनुदान

ज़वाबित: नियम अथवा अधिनियम

16.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भाग 16.2 देखिए।
2) भाग 16.2 देखिए।
3) भाग 16.2 देखिए।
4) भाग 16.2 देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) भाग 16.3 देखिए।
2) उपभाग 16.4.2 देखिए।
3) उपभाग 16.4.5 देखिए।
4) क) ×, ख) ×, ग) ✓
5) उपभाग 16.4.2, 16.4.3 और 16.4.4 देखिए।

बोध प्रश्न 3

1) भाग 16.5 देखिए।
2) भाग 16.5 देखिए।

बोध प्रश्न 4

1) उपभाग 16.6.1 देखिए।
2) उपभाग 16.6.1 देखिए।
3) उपभाग 16.6.1 देखिए।
4) उपभाग 16.6.2 देखिए।